# राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

सा.का.िन. 258.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी का असचिवीय पद) भर्ती नियम, 2002, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता.—** वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

| पद का<br>नाम                                 | पदों की<br>संख्या  | वर्गीकरण   | वेतन<br>मैट्रिक्स में<br>स्तर | चयन पद<br>अथवा<br>अचयन पद |                | सीधे भर्ती किए जाने वाले<br>व्यक्तियों के लिए अपेक्षित<br>शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|--|--|--|-------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)                           | (5)                       | (6)            | (7)  |
| सहायक<br>पुस्तकालय<br>और<br>सूचना<br>अधिकारी | 01* (2019)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण<br>केन्द्रीय सेवा,<br>समूह 'ख',<br>राजपत्रित,<br>अननुसचिवीय | स्तर-7                        | चयन                       | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता   |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के<br>लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं<br>प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी |                | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या<br>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी<br>जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|--|----------------|--|
| (8)  | (9)            | (10)   |
| लागू नहीं होता   | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा   |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|
| (11)  |
|   |

#### प्रोन्नतिः

वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 में के ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री रखते हों और पुस्तकालय या पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 2 हफ्ते का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां से किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है                                    | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा<br>आयोग से परामर्श किया जाएगा |                          |           |         |      |        |
|---|--|--------------------------|-----------|---------|------|--------|
| (12)  |  |                          | (1:       | 3)      |      |        |
| समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विच<br>जिसमें निम्नलिखित होंगे:- | ार करने के लिए)  | संघ लोक सेवा<br>नहीं है। | ा आयोग से | परामर्श | करना | आवश्यक |
| 2. मुख्य पुस्तकालय-सह-प्रलेखीकरण अधिकारी या   | - अध्यक्ष  |                          |           |         |      |        |
| 3   | – सदस्य  |                          |           |         |      |        |
| 3. उप सचिव या उप सलाहकार, नीति आयोग   | - सदस्य  |                          |           |         |      |        |

[फा. सं. ए-12018/03/2016-प्रशा.IV]

अशोक कुमार, अवर सचिव

### NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 13th August, 2019

- G.S.R. 258.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Non-Secretariat post of Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-
  - 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), Assistant Library and Information Officer, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2019.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

| Name of post                                       | Number of post   | Classification                                  | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|--|--|---|---------------------|--|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)                 | (5)  |
| Assistant<br>Library and<br>Information<br>Officer | 1* (2019)  *Subject to variation dependent on work load. | GCS, Group 'B',<br>Gazetted,<br>Non-Ministerial | Level-7             | Selection                                    |

| Age limits for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees |                |
|--------------------------------|---|---|----------------|
| (6)                            | (7)   | (8)   | (9)            |
| Not applicable                 | Not applicable  | Not applicable  | Not applicable |

| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made  | If Departmental Promotion<br>Committee exists, what is its<br>composition  | Circumstances<br>in which Union<br>Public Service<br>Commission is<br>to be consulted<br>in making<br>recruitment |
|---|---|--|---|
| (10)  | (11)  | (12)   | (13)  |
| By Promotion  | Promotion:  Library and Information Assistant in level-6 in pay matrix with five years' regular service in the grade possessing Bachelors' Degree in Library Science or Library and | Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:-  1. Deputy Secretary or Director (Administration), NITI Aayog – Chairman; | Consultation with Union Public Service Commission not necessary.  |

Information Science from a 2. Chief Librarian-cumrecognised University Institute and successfully completed training of two NITI Aayog weeks in the field of Library and Library Science. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or

eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have

completed

qualifying or eligibility service.

**Documentation Officer** or Head of Library, - Member:

3. Deputy Secretary or Deputy Adviser, NITI Aayog - Member.

> [F. No. A-12018/03/2016-Adm.IV] ASHOK KUMAR, Under Secv.

## नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

such

सा.का.नि. 259.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग नयाचार सहायक भर्ती नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में नयाचार सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु :-

- **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) (नयाचार सहायक) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

already

- **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **निरर्हता.—**वह व्यक्ति
  - जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
  - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :